रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2016/आषाढ़ 27, 1938
No. 292] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 13 जुलाई, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरआई/18/130/2016.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 101ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है, अर्थात्:-

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत अध्यर्पण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के वर्ष के दौरान संबद्ध किये जानेवाले बीमे के संबंध में 5% होंगे (सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को छोड़कर जिनमें यह `शून्य' होगा)।

धारा 101ए (4) में व्यवस्था की गई है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन लेनदेन किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में शर्तों को भी विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में प्राधिकरण केन्द्र सरकार के अनुमोदन से इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 101ए का अनुपालन करते हुए "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" को पुनर्बीमा अध्यर्पणों के लिए प्रतिशत और शर्तें विनिर्दिष्ट करता है।

प्रकार	बीमित राशि में अध्यर्पण की सीमा	कमीशन
अग्नि (फायर), आईए आर बड़े जोखिम	750 करोड़ रुपये बीमित राशि (एमडी + एलओपी) प्रति जोखिम	क) तेल और ऊर्जा, विमानन, सामूहिक स्वास्थ्य और

मरीन कार्गो/डीएसयू बीमा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति पॉलिसी/बॉटम/प्रेषण	मोटर टीपी को छोड़कर सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 15% ख) सामूहिक स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम 10% ग) मोटर टीपी के लिए न्यूनतम 5% घ) इससे अधिक कुछ भी के संबंध में जीआईसी और बीमा कंपनी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।
मरीन हल	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जलयान	
युद्ध और एसआरसीसी	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जलयान	
मोटर	कोई सीमा नहीं*	
कामगार प्रतिकर बीमा	कोई सीमा नहीं*	
साधारण विमानन हल	कोई सीमा नहीं*	
साधारण विमानन देयता	कोई सीमा नहीं*	
वित्तीय देयता को छोड़कर सभी देयता उत्पाद	25 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी अमेरिका सहित/ 50 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी अमेरिका को छोड़कर	
वित्तीय, ऋण और गारंटी व्यवस्थाएँ, बंधक बीमा, विशेष आकस्मिकता पॉलिसियाँ आदि	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति पॉलिसी	
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं*	
मशीनरी ब्रेकडाउन, बॉयलर विस्फोट और संबंधित लाभों की हानि	100 करोड़ रुपये प्रति जोखिम	
ठेकेदार के सभी जोखिम, भवन (इरेक्शन) सभी जोखिम, लाभों की अग्रिम हानि, डीएसयू बीमा	500 करोड़ रुपये प्रति जोखिम (एमडी + एलओपी)	
तेल और ऊर्जा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जोखिम	5%
फसल / मौसम बीमा	कोई सीमा नहीं*	15%
विमानन (एअरलाइन्स)	कोई सीमा नहीं*	औसत शर्तें

लाभ कमीशन

1. लाभ कमीशन का क्रमिक रूप से न्यून मान (स्लाइडिंग स्केल) कंपनी के कुल बाध्यकारी संविभाग पर आधारित।
2. लाभ कमीशन देय है यदि हानि अनुपात 78% से कम अथवा उसके समान हो।
3. अधिशेष की गणना फैक्टरिंग के बाद की जानी चाहिए।
    - उठाई गई हानि % (3 वित्तीय वर्षों के अंत में गणना की जानी है)
    - प्रबंध व्यय 2% पर
    - लाभ 5% पर

- कमीशन 15% पर
- हानि अनुपात 78% से 50% तक
- यदि हानि अनुपात 78% से अधिक हो तो कोई लाभ अनुपात देय नहीं है।
- अधिशेष को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता और जीआईसी के बीच 50% : 50% आधार पर साझा करना चाहिए।
- लाभ कमीशन 14% से अधिक नहीं होना चाहिए।

***टिप्पणी**ः ऊपर तारकचिह्न द्वारा "कोई सीमा नहीं" अंकित अध्यर्पणों के संबंध में, "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" अध्यर्पक बीमाकर्ता से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने द्वारा विनिर्दिष्ट प्रति जोखिम राशि से अधिक किसी भी अध्यर्पण की जोखिम-अंकन सूचना के साथ उसे तत्काल नोटिस दे। ऐसी सीमाओं से अधिक अध्यर्पण, दी गई नोटिस और सूचना के अधीन बाध्यकारी होंगे।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असाधारण/173(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th July, 2016

F. No IRDAI/RI/18/130/2016.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 101A of the Insurance Act 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Insurance Act 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification namely:-

The percentage cessions of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Reinsurer shall be 5% in respect of insurance attaching during the year 1st April, 2016 to 31st March 2017 (except for government sponsored health insurance schemes, wherein it would be made 'NIL').

Section 101A (4) provides that a notification under sub-section (2) of Section 101A of the Insurance Act, 1938 may also specify the terms and conditions in respect of any business of re-insurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers.

In pursuance of the power conferred by Section 101A of the Insurance Act, 1938 the Authority with the approval of the Central Government, hereby specifies the percentage and terms and conditions for the reinsurance cessions to the "Indian Reinsurer" in compliance with section 101A of the Act.

Type	**Limit of cession in sum insured**	**Commission**
Fire, IAR Large Risks	Rs 750 crores sum insured (MD+LOP) per risk	a) Minimum 15% for all classes except Oil & Energy, Aviation, Group Health and Motor TP b) Minimum 10% for group health. c) Minimum 5% for Motor TP d) Anything over and above this can be as mutually agreed between GIC and the Insurance Company.
Marine Cargo/DSU Insurance	Rs 50 crores sum insured per policy/bottom/sending	
Marine Hull	Rs 50 crores sum insured per vessel	
War & SRCC	Rs 50 crores sum insured per vessel	
Motor	No Limit*	
Workmen's Compensation	No Limit*	
General Aviation Hull	No Limit*	
General Aviation Liability	No Limit*	

All Liability products excluding financial liability	Rs 25 crores per policy including USA/ Rs 50 crores per policy excluding USA	
Financial, Credit and Guarantee Lines, mortgage insurance, special contingency policies etc.	Rs 50 crores sum insured per policy	
Other Miscellaneous	No Limit*	
Machinery Breakdown, Boiler Explosion and related loss of profits	Rs 100 crores per risk	
Contractor's All Risks, Erection All Risks, Advance Loss of Profits, DSU Insurance	Rs 500 crores per risk (MD+LOP)	
Oil & Energy	Rs 50 crores SI per risk	5%
Crop/Weather Insurance	No Limit*	15%
Aviation (Airlines)	No Limit*	Average Terms

Profit Commission

1. Sliding scale of Profit commission based on the total obligatory portfolio of the company
2. Profit commission is payable if Loss Ratio is less than or equal to 78%
3. Surplus to be calculated after factoring
    - Incurred loss % (to be worked at the end of 3 Financial years)
    - Management Expenses at 2%
    - Profit at 5%
    - Commission at 15%
    - Loss Ratio at 78% to 50%
4. No profit commission is payable if the loss ratio exceeds 78%.
5. Surplus to be shared between the direct insurer and GIC on 50%: 50% basis.
6. Profit commission shall not exceed 14%

* **Note:** in respect of cessions with "No Limit" marked by an asterisk above, the "Indian Reinsurer" may require the ceding insurer to give immediate notice with underwriting information of any cession to it exceeding an amount per risk specified by it. Cessions in excess of such limits will be binding subject to the notice and information been given.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.-III /4/Exty/173(161)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.